बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र सं०–1/ए०जी०–14/117 1375 /कृ०, पटना, दिनांक–16–03–2018

संकल्प

विषय :– श्री गणेश राम, निदेशक, बामेती, बिहार, पटना के उपनाम में परिवर्त्तन करतें हुए उनका नाम श्री गणेश ''कुमार'' रखने की अनुमति।

नियुक्ति विभाग (अब कार्मिक विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग) के ज्ञापांक–111/आर०आई०–108/64ए–10026/पटना, दिनांक–22.08.64 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक–4714 दिनांक–05.05.1983 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत श्री गणेश राम, निदेशक, बामेती, बिहार, पटना ने आवेदन दिया है कि उनके उपनाम ''राम'' से ''राम'' हटाकर ''कुमार'' जोड़ते हुए उनका नाम श्री गणेश ''कुमार'' के रूप में परिवर्त्तित करने की अनुमति दी जाय।

2. श्री गणेश राम द्वारा नियुक्ति विभाग एवं अब सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परिपत्रों के अनुसार उपनाम में परिवर्त्तन हेतु सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई है।

3. अतः श्री गणेश राम के आवेदन पर पूर्णरूपेण विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल उनके नाम में निम्न रूप में परिवर्त्तन करने का आदेश देते है –

'' श्री गणेश राम'' को तात्कालिक प्रभाव से ''श्री गणेश कुमार'' सम्बोधित किया जाय।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं संबंधितों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/03/18

सरकार के अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।